न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 60/2019 राजस्व अपील

1. गब्दूराम पुत्र मांगीलाल
2. रामकिशन पुत्र मांगीलाल

} समस्त जाति माली निवासी ग्राम मोहचिंगपुरा तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार बहरावण्डा तहसील सिकराय जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय उप तहसीलदार बहरावण्डा निर्णय दिनांक 24.08.2018 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम गब्दूराम मु. नं. 142/2018 अ. धारा 91 एल.आर. एक्ट

उपस्थिति : श्री विश्राम गुर्जर अधिवक्ता अपीलान्ट्स उपस्थित।
: पैरोकार सरकार उपस्थित।

:– निर्णय :–

दिनांकः 26.03.2021

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का बहरावण्डा द्वारा अपीलान्ट्स के खिलाफ एक रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा के समक्ष इस आशय की पेश की कि अपीलान्ट्स ने ग्राम मोहचिंगपुरा के आराजी भूमि खसरा नम्बर 431 रकबा 0.07 है. किस्म सिवायचक पर सम्वत 2075 मे काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा ने कार्यवाही करते हुए अपीलान्ट्स को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही निर्णय जेर अपील पारित कर अपीलान्ट्स को 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा व विवादित आराजी से बेदखल कर 50 गुना शास्ति से दण्डित किये जाने का निर्णय दिनांक 24.08.2018 को पारित कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा के निर्णय दिनांक 24.08.2018 के विरूद्ध यह अपील न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया एवं अतिक्रमण से सम्बन्धित वर्तमान मौका रिपोर्ट तलब की गई। तत्पश्चात् बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून नियम, उपनियम एवं न्याय की सामान्य प्रक्रियाओं के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण को समुचित सुनवाई व साक्ष्य सबूत का पूर्ण अवसर नहीं देकर कानून के सामान्य सिद्धान्तों की अवहेलना कर निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट्स ने किसी भी सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। पटवारी हल्का ने भी अपनी रिपोर्ट में

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अंकित नहीं किया है कि अपीलान्ट्स ने कौनसी फसल काश्त की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स को पटवारी हल्का से जिरह का अवसर नहीं दिया है और ना ही पटवारी हल्का की रिपोर्ट एक्जिबिट ही हुई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज व प्रलेख नहीं है जिससे अपीलान्ट्स को पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना जावे। अपीलान्ट्स ने ग्राम मोहचिंगपुरा तहसील सिकराय में स्थित भूमि खसरा नं. 431 रकबा 0.07 है. पर से अपना कब्जा हटा लिये जाने एवं भविष्य में सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं किये जाने सम्बन्धी शपथ पत्र प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार बहरावण्डा के निर्णय दिनांक 24.08.2018 को निरस्त फरमाये जाने का निवेदन किया।

जवाब बहस के दौरान पैरोकार सरकार ने निवेदन किया कि अपीलान्ट्स ने ग्राम मोहचिंगपुरा तहसील सिकराय में स्थित सिवायचक भूमि खसरा नं0. 431 रकबा 0.07 है. पर बाजरे की काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। अपीलान्ट्स अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर शास्ति आरोपित कर अपीलान्ट्स अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 24.08.2018 को बेदखल कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट बार–बार अतिक्रमण कर लेता है जो कि पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट्स का अतिक्रमणशुदा भूमि पर से कब्जा हटा लिये जाने के सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट उप तहसीलदार बहरावण्डा से प्राप्त की गई। उपतहसीलदार बहरावण्डा की वर्तमान मौका रिपोर्ट के अनुसार ग्राम मोहचिंगपुरा के आराजी खसरा नं. 431 रकबा 0.07 है. भूमि पर वर्तमान में अपीलान्ट्स का अतिक्रमण नहीं है। मौके पर भूमि खाली है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट्स आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा मुकदमा नम्बर 142/2018 सरकार बनाम गब्दूराम वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 24.08.2018 में से सिविल कारावास की सजा स्थिगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 26.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official